

कार्यालय केन्द्रीय नजारत सिविल कोर्ट बलिया ।

नीलामी नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 1485/प्रशा0 (वी 1) दिनांकित 20।04।2024 द्वारा न्यायालय परिसर बलिया में विद्यमान पूड़ी मिठाई चाय नमकीन की दूकान नं0 3 व 4, फोटोस्टेट की दूकान नं0 3 तथा निगेटिव से फोटो बनाने की दूकान नं0 1 को माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं0 797/Admin(B-I) dated 15.3.194 एवं सपठित शा0 सं0 562/उन्नीस-2-2007-1007/74टी0सी0 दिनांकित 04।07।2007 के निर्देशानुसार नीलामी के सम्बन्ध में सीलबन्द टेण्डर आमन्त्रित कर नीलाम करने हेतु निर्देशित किया गया है । उक्त दूकानों का वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष अवधि हेतु नीलाम किये जाने के लिये सीलबन्द टेण्डर आमन्त्रित किया जाता है ।

अतः जिन महानुभाव को उक्त दूकानों की नीलामी लेनी हो वे अपना सील बन्द टेण्डर दिनांक 21।5।2024 तक समय 12 बजे दिन तक केन्द्रीय नजारत में प्रस्तुत कर सकते हैं । केन्द्रीय नजिर सीलबन्द टेण्डर उसी दिन सायं 4 बजे नीलाम समिति के समक्ष केन्द्रीय सभागार कक्ष में प्रस्तुत करेंगे जिसे सर्वसाधारण के समक्ष उगी दिन खोला जायेगा ।

टेण्डर प्रस्तुत करने की शर्तें

- 1 उपरोक्त वर्णित दूकान की नीलामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में शेष अवधि के लिये कें लिये की जानी है । जिसके लिये सीलबन्द टेण्डर प्रस्तुत करना होगा ।
- 2 प्रत्येक टेण्डर दाताओं को जमानत की धनराशि के रूप में अंकन 10000/- रुपये नकद टेण्डर के साथ जमा करना होगा ।
- 4 सभी टेण्डरदाताओं को अपने आधार कार्ड/निवास प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति दाखिल करना होगा एवं मूलप्रति साथ में लाना अनिवार्य होगा ।
- 5 जिस व्यक्ति का टेण्डर सबसे अधिक होगा उसके पक्ष में नीलाम की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी , निविदा की सम्पूर्ण धनराशि का 1/3 धनराशि तत्काल तथा 1/3 धनराशि माह अक्टूबर एवं तीसरी किश्त की धनराशि माह जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में जमा करना होगा । तत्पश्चात् सभी टेण्डरदाताओं की जमानत की धनराशि वापस कर दी जायेगी ।
- 6 माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि किसी भी टेण्डर को विना कारण वताये निरस्त कर सकते है ।
- 7 माननीय जनपद न्यायाधीश को अधिकार होगा कि अपरिहार्य परिस्थिति में दूकान का स्थान बदल सकते हैं । इसमें किसी को कोई एतराज नही होगा ।
- 8 नीलाम नोटिस वास्ते अनुमोदन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत हो ।

Narendra Kumar
अध्यक्ष 6.5.24

नीलाम समिति / अपर जिला जज
कोर्ट सं0 1 बलिया ।

प्रतिलिपि निम्नांकित स्थानों पर चस्पा किये जाने हेतु

- 1 माननीय जनपद न्यायाधीश बलिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 2 जिलाधिकारी बलिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 3 जिला पंचायत परिषद/नगर पालिका परिषद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 4 लो0नि0वि0 बलिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 5 जिला न्यायालय के वेबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 6 शा0 सं0 562/उन्नीस-2-2007-1007/74टी0सी0 दिनांकित 04।07।2007 के निर्देशानुसार जिला सूचना अधिकारी द्वारा निर्गत नोटिस को स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु ।

Approved
tho
6.5.24

Narendra Kumar
अध्यक्ष 6.5.24

नीलाम समिति / अपर जिला जज
कोर्ट सं0 1 बलिया ।